

मि.न.29/17

सरकार बनाम जनक बाई

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बनेठी ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम बनेठी तहसील कोटपूतली के ख0 न0151 रकबा 2.07किस्म जमीन ,गै0मु0 पहाड मेंसे 0.38है0 पर जनक बाई पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने फसल बाजरा, ग्वार कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अत गैर सायलान के विरुद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है ।

अतः, जनक बाई पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम बनेठी तहसील कोटपूतली के ख0 न0151 रकबा 2.07किस्म जमीन ,गै0मु0 पहाड पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर कास्तशुदा फसल बाजरा,ग्वार को कब्जेराज लेकर सरेआम निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1.52का पचास गुणा76रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार फसल निलामी, बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक25.9.17, को सरे इजलास सुनाया गया ।

दिनांक 2017 ... 0.18.....के रा० ले० 4
के वृष्ट संख्या 62.. पर 76-रु
इसमें कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली


नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)